कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.–भूप्रआ / समु / आरआर. / 11 / 2 / 2 / 99–2000 / दिनांकः

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
भरतपुर

विषयः– तहसील रूपवास के ग्राम रूदावल की बन्द की अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत ।

प्रसग :– राजस्व ग्रुप–1 विभाग का पत्रांक प.13(15)राज–1 / 2010 / पार्ट दिनांक 22.6.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील रूपवास जिला भरतपुर के ग्राम रूदावल की बन्द की अधिसूचना दिनांक 22.6.2018 अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां सलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्राम का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

ह०

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0भू–प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 1754 दिनांकः– 12/7/18

प्रतिलिपिः–

1– प्रोग्रामर,मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की एक–एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी
मुख्यावास राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(15)राज.–1/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक 22 JUN 2018

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा तहसील रूपवास जिला–भरतपुर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(16)राज/ग्रुप–1/2002 दिनांक 02.12.2002 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के 164 ग्रामों में से 158 ग्रामों में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्व में अधिसूचना क्रमांक प. 13(15)राज/ग्रुप–1/2010 दिनांक 28.10.2010, 24.12.2012, 09.12.2015 एवं दिनांक 06.03.2018 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका हैं। शेष रहे 6 ग्रामों में से **1 ग्राम रूदावल** में सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो जाने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

राज. जयपुर
पत्र–प्राप्ति
10 JUL 2018
क्रमांक ....580........

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर /11/2/2/1999–2000/पार्ट–II/1337 दिनांक 04.06.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(15)राज.–1/2010 पार्ट   जयपुर, दिनांक 22 JUN 2018

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश दिये गये थे कि तहसील रूपवास जिला–भरतपुर के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(16)राज/ग्रुप–1/2002 दिनांक 02.12.2002 के द्वारा प्रारम्भ किया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्ति किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के 164 ग्रामों में से 158 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प.13(15)राज/ग्रुप–1/2010 दिनांक 28.10.2010, 24.12.2012, 09.12.2015 एवं दिनांक 06.03.2018 से बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष रहे 6 ग्रामों में से **1 ग्राम रूदावल** के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य पूर्ण होने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 01 ग्राम का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा इस ग्राम के लिए अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

पत्र–प्राप्ति 10 JUL 2018 581

क्रमांक प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/2/1999–2000/पार्ट–II/1337 दिनांक 04.06.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव